**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 391

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**एआईसीटीई से संबद्ध कॉलेजों का बंद किया जाना**

391. श्री के॰ के॰ रागेशः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से संबद्ध कुल कितने कॉलेजों को बंद कर दिया गया है;

(ख) ऐसे कॉलेजों के बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस समस्या के कारणों को दूर करने तथा ऐसे कॉलेजों को चालू रखना सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ग): गत तीन वर्षों के दौरान क्रमिक रूप से बंद किए गए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों को अनुमोदित अनुदान का ब्‍यौरा निम्‍नलिखित है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | शैक्षिक वर्ष | बंद किए गए इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्‍या |
| 1. | 2016-17 | 163 |
| 2. | 2017-18 | 106 |
| 3. | 2018-19 | 57 |
|  | कुल | 326 |

एआईसीटीई अपने आप से किसी संस्‍थान को बंद नहीं करता है। तथापि, कुछ संस्‍थाओं को छात्रों की कमी सहित वित्‍तीय अव्‍यवहार्यता के कारण उनके अनुरोध पर बंद किया गया है। इस संबंध में एआईसीटीई ने निम्‍नलिखित कदम उठाए हैं:

i. संस्‍थान परिषद के अनुमोदन से अपने आप सीटों की संख्‍या को कम करने का विकल्‍प ले सकते है।

ii. उन संस्‍थाओं जहां पाठ्यक्रम(मों) में प्रवेश गत 05 वर्षों के दौरान लगातार ''अनुमोदित प्रवेश'' के 30 प्रतिशत से कम है, परिषद, परिषद के अनुमोदन से चालू शैक्षिक वर्ष में ऐसे पाठ्यक्रम(मों) में ''अनुमोदित प्रवेश'' का 50 प्रतिशत कम कर सकती है।

iii. उन संस्‍थाओं जहां पाठ्यक्रम(मों) में गत 05 वर्षों के दौरान प्रवेश शून्‍य है, ऐसे पाठ्यक्रम(मों) को परिषद के अनुमोदन से चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान बंद कर दिया जाएगा।

iv. तकनीकी संस्‍थानों की अनुमोदन प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए एआईसीटीई ने राज्‍य स्‍तर पर तकनीकी शिक्षा के लिए भावी योजना बनाने का अनुमोदन दिया है जिसमें तकनीकी शिक्षा के विभिन्‍न विषयों के तहत मांग और आपूर्ति से संबंधित सूचनाएं होंगी।

**\*\*\*\*\***